अनुबंध।

मास्टर निदेश – मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां में संशोधन

1. निम्नलिखित निर्देशों को लोपित किया जा रहा है:

(क)कवर पत्र का पैरा 2

(ख)खंड I के पैरा 2 एवं 3

(ग) खंड II, हालांकि, खंड II के पैरा 5 को खंड V के पैरा 24 के रूप में पुनःस्थापित किया जा रहा है

(घ) खंड III का पैरा 4

(ङ)खंड III के पैरा 9 के अंतर्गत टिप्पणी

(च) खंड IV

(छ) खंड V का पैरा 19

(ज) खंड VII

(झ) खंड VIII

2. निम्नलिखित निर्देश संशोधित किए जा रहे हैं:

पैरा नं.	मौजूदा निर्देश	नए निर्देश
कवर लेटर का पैरा 3	मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों से संबंधित निदेशों, जिनमें एफ़एफ़एमसी, गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II एवं प्राधिकृत व्यक्तियों के फ्रेंचाइजियों को प्राधिकार देने और उनके कामकाज सहित अपने ग्राहकों/ घटकों के साथ उनके विदेशी मुद्रा लेनदेन का परिचालन शामिल है, को समेकित करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) तथा धारा 11(1) के तहत इसके साथ संलग्न मास्टर निदेश के रूप में जारी किया जा रहा है और यह किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किया जा रहा है।	मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित निदेशों को समेकित करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) तथा धारा 11(1) के तहत इसके साथ संलग्न मास्टर निदेश के रूप में जारी किया जा रहा है और यह किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किया जा रहा है।
खंड III का पैरा 1	इस योजना के तहत रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II एवं एफएफएमसी को अपने विकल्प पर सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार अर्थात विदेशी मुद्रा नोट, सिक्कों अथवा यात्री चेक का भारतीय रुपए में परिवर्तन करने के लिए करार करने की अनुमति देता है। तथापि, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की सीमा से 10 किमी के अंदर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I	इस योजना के तहत रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II एवं एफएफएमसी को अपने विकल्प पर सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार अर्थात विदेशी मुद्रा नोट, सिक्कों अथवा यात्री चेक का भारतीय रुपए में परिवर्तन करने के लिए करार करने की अनुमति दिया था। तथापि, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की सीमा से 10 किमी के अंदर प्राधिकृत

	बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II / एफएफएमसी सीमावर्ती देशों की मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की पूर्वानुमति से बेच सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ एफएफएमसी के अन्य फ्रेंचाइजी विदेशी मुद्रा नहीं बेच सकते हैं।	व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II / एफएफएमसी सीमावर्ती देशों की मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की पूर्वानुमति से बेच सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II/ एफएफएमसी के अन्य फ्रेंचाइजी विदेशी मुद्रा नहीं बेच सकते हैं। इन निदेशों में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति अब से कोई भी नया फ्रैंचाइज़ी करार नहीं करेगा, और मौजूदा फ्रैंचाइज़ी करारों को धीरे-धीरे, लेकिन दिनांक 06 मई 2026 से दो साल के भीतर समाप्त करेगा।
खंड V का पैरा 22	**22. तुलन पत्र प्रस्तुत करना एवं निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) का रखरखाव** सभी एफएफएमसी/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II से अपेक्षित है कि वे अपना वार्षिक लेखापरीक्षित तुलन पत्र रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित वर्ष के 31 अक्टुबर तक अवश्य प्रस्तुत करें, इसके साथ तुलन-पत्र की तारीख को एनओएफ के संबंध में उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए । चूंकि एफएफएमसी/ गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II से अपेक्षित होता है कि वे अनवरत आधार पर एनओएफ का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखें और उनका एनओएफ न्यूनतम स्तर से नीचे जाने की स्थिति में वे इसे तुरंत रिज़र्व बैंक की जानकारी में लाएं एवं इसके साथ विस्तार से वह समयबद्ध योजना भी बताएं जिससे एनओएफ का न्यूनतम स्तर हासिल किया जाएगा।	**22. तुलन पत्र एवं निवल मालियत एवं वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना** एफएफएमसी/गैर-बैंक एडी श्रेणी II को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अंकेक्षित तुलन पत्र की प्रति तथा तुलन पत्र की तारीख के अनुसार निवल मालियत के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

मास्टर निदेश – अन्य विप्रेषण सुविधाएं में संशोधन

मास्टर निदेश – अन्य विप्रेषण सुविधाएं का पैरा 2 लोपित किया जा रहा है।